

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियन्ता,
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल,
बुलन्दशहर।

विशेष व्यक्ति द्वारा

प्रेषित:-

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क अनुभाग
उत्तर प्रदेश विज्ञापन विभाग,
लखनऊ।

पत्रांक:-1530 / मगननिमंबु0 / टी-1 / निविदा / 2020-21

दिनांक-10 / 08 / 2020

विषय:- अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-01 / एस0ई0 / 2020-21 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-01 / एस0ई0 / 2020-21 की छः प्रतियाँ एवं सी0डी0 संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इनका प्रकाशन हिन्दी के दैनिक समाचार पत्रों में तीन दिवस के अन्दर यथा शीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा करें, साथ ही विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> सूचना विभाग की वेबसाईट <http://information.nic.in> एवं सिंचाई विभाग की वेबसाईट <http://www.idup.gov.in> पर भी प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- निविदा छः प्रतियों में तथा सी0डी0 एक अदद।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल,
बुलन्दशहर

पत्रांक:-1530 / मगननिमंबु0 / निविदा / तदिनांक:- 10 / 08 / 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, रूहेलखण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, बरेली।
- 3- मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा नहर परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सिंचाई विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित कराने हेतु निविदा एवं एक सी0डी0 सहित।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि आप निविदा खोलने हेतु नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें।
- 6- आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ / मुरादाबाद।
- 7- जिलाधिकारी, जनपद, बुलन्दशहर / अमरोहा।
- 8- पुलिस अधीक्षक, जनपद, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि बिड़ खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा स्थल पर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात करने हेतु आवश्यक आदेश देने का कष्ट करें।
- 9- जिला सूचना अधिकारी, जनपद, बुलन्दशहर।
- 10- अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)।
- 11- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल,
बुलन्दशहर

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल
बुलन्दशहर

पत्रांक:-1530 / मगननिमंबु0 / टी-1 / निविदा / 2020-21

दिनांक -10 / 08 / 2020

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-01 / एस0ई0 / 2020-21

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन अति अल्पकालीन निविदा <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत फर्म से दिनांक 05.09.2020 की सायं 5.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा की प्री-क्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड दिनांक 07.09.2020 अपरान्ह 12.00 बजे निर्धारित समिति के समक्ष कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, बुलन्दशहर के कार्यालय कक्ष में उपस्थित फर्मो/टेकेदारों के समक्ष ऑनलाईन खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने या अवकाश होने की स्थिति में यह बिड अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

निविदा दिनांक 31.08.2020 की अपरान्ह 12.00 बजे से दिनांक 05.09.2020 की सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त वेबसाईट पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

क्र० सं०	लाट सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर राशि (रु० लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र+ स्टेशनरी+ जी०एस०टी०	पंजीकृत श्रेणी	अधिशाली अभियन्ता जिसके पक्ष में प्रतिभूति बन्धक की जानी है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत बहजोई शाखा के कि०मी० 08.200 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य।	69.00	1.38	5 माह	300+2000 +414	“बी” अथवा उच्च श्रेणी	अधिशाली अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुदतेश्वर (हापुड़)

निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें तथा विवरण <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

अधीक्षण अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल
बुलन्दशहर

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल
बुलन्दशहर**

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-01/एस0ई0/2020-21

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन निविदा <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत फर्म से दिनांक 05.09.2020 की सायं 5.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा की प्री-क्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड दिनांक 07.09.2020 अपराह्न 12.00 बजे निर्धारित समिति के समक्ष कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, बुलन्दशहर के कार्यालय कक्ष में उपस्थित फर्मों/टेकेदारों के समक्ष ऑनलाईन खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने या अवकाश होने की स्थिति में यह बिड अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

निविदा दिनांक 31.08.2020 की अपराह्न 12.00 बजे से दिनांक 05.09.2020 की सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त वेबसाइट पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

क्र० सं०	लाट सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर राशि (रु० लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र+ स्टेशनरी+ जी०एस०टी०	पंजीकृत श्रेणी	अधिशाली अभियन्ता जिसके पक्ष में प्रतिभूति बन्धक की जानी है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत बहजोई शाखा के कि०मी० 8.200 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य।	69.00	1.38	5 माह	300+2000 +414	“बी” अथवा उच्च श्रेणी	अधिशाली अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)

आवश्यक नियम एवं शर्तें:-

- यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। निविदा के साथ निर्धारित श्रेणी के निम्न प्रपत्र/अभिलेखों की स्कैण्ड प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा:- सिंचाई विभाग में निर्धारित श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्वघोषणा शपथ पत्र (IDT-3) तथा निविदा मूल्य (जी०एस०टी सहित) का ड्राफ्ट, धरोहर राशि का अभिलेख अनुबन्ध के समय उपरोक्त सभी अभिलेख मूल रूप में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
- अनुबन्ध के समय निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, जी०एस०टी० पंजीकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं०-622/23-12-2012-2 आडिट/ 08टी०सी०-2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरें (Below Rates) डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशतकम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों (Below Rates) पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफारमैन्स गारंटी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- यह निविदा/बिड सूचना उ०प्र० सरकार की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> सूचना विभाग की वेबसाइट <http://information.nic.in> से भी डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट पर ड्राईंग उपलब्ध न होने अथवा निविदा प्रपत्र में संलग्न न होने अथवा किसी भिन्नता की स्थिति में ड्राईंग/प्रपत्र हेतु अधिशाली अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) के कार्यालय में देख सकेंगे।
- ज्वाइंट वेचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ संलग्न होंगे।
- शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दवाब/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
- धरोहर धनराशि एन०एस०सी०/राष्ट्रीकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर० अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में अधिशाली अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) के पक्ष में बंधक होनी चाहिए। इसकी स्कैन प्रति ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं होगी। अनुबन्ध के समय मूल वांछित प्रतिभूति के अभिलेख मूल रूप में जमा करना आवश्यक है।
- अनुबन्ध के समय टेकेदार से इस आशय का घोषण पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा।

- 11— प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial bid/Price bid) के साथ ₹0 100.00 के जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रुपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इसके पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 12— ठेकेदार को नियमानुसार देय जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, रायल्टी एवं श्रम उपकर देना होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी
- 13—एसे निविदादाता जिनका कोई सगा-सम्बन्धी (First Blood Relation & Their Spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में नाम व पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारी पर हलफनामा अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14—कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 15—निविदादाता को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तिथियाँ तथा समयावधि/स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी। कोई भी जानकारी हेतु अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) के कार्यालय से कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
- 16—निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग न हो पाने अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 17—इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- 18—यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- 19—Technical Evaluation and its result will be uploaded online. Financial Bid will be accepted only for those bidders who will qualified in the technical bid. Financial bidding results will be online.
- 20—कोई निविदादाता जो राज्य सभा द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 21—राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 22—विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय/निविदा से सम्बन्धित अन्य किसी शर्त/विशिष्टियों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करा दी जायेगी। ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि निविदा डालने से पूर्व ऑनलाईन/नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस का संज्ञान अवश्य ले लें।
- 23—शासनादेश सं0-3070/78-2-2018/42 आई0टी0/2017 (22) दिनांक 03.01.2018 के अनुपालन में निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) की प्राप्ति हेतु ऑनलाईन व्यवस्था होने तक निविदादाताओं के द्वारा ई-टेंडरिंग प्रणाली के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) सम्बन्धित डिमांड ड्राफ्ट/पेय आर्डर की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण-पत्र विभाग के पक्ष में बंधक कराने पर, प्राप्त ट्रान्स्क्वेशन नं0 को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् तकनीकी एवं वित्तीय बिडस खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिडस खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) सम्बन्धित डिमांड ड्राफ्ट/पेय आर्डर/प्रतिभूति प्रमाण-पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी।
- 24—अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
- 25—निविदादाता को ई-टेंडरिंग हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। अनुबन्ध के समय ई-टेंडरिंग का पंजीकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 26—उक्त निविदायें आमन्त्रित कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही धन की उपलब्धता के आधार पर की जायेगी। धन आवटन कम प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की दशा में निविदायें निरस्त की जा सकती हैं इसके लिए किसी भी निविदादाता का दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 27—एसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सेवा पर 02 वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की अनुमति के नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेंगे, तब संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
- 28—कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता मानक से कम होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वह मात्र एक नोटिस देकर कार्य अन्य संस्था से कार्य को पूर्ण कराने तथा अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी होगा। इसके पश्चात् ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 29—ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पत्रांक-12-02-01-सी0टी0ई0-6 दिनांक-17.12.2002 के अनुसार विगत सात वर्षों में समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव निम्न लागत का होना चाहिए।
- (क) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये तीन कार्यों के अनुमानित लागत की 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- अथवा**
- (ख) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये दो कार्यों की लागत अनुमानित लागत की 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- अथवा**
- (ग) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये एक कार्य की लागत अनुमानित लागत की 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- 30—ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पत्रांक-12-02-01-सी0टी0ई0-6, दिनांक-17.12.2002 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वित्तीय वर्ष (विगत 31 मार्च) का वार्षिक टर्न ओवर निविदा के कार्य की अनुमानित लागत का 30 प्रतिशत या

उससे अधिक का होना चाहिए। इस हेतु ठेकेदार को अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की सत्यापित प्रति अनुबन्ध के समय उपलब्ध करानी होगी।

- 31-भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा, इसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 32-कार्य के भुगतान के समय नियमानुसार देय जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, रॉयल्टी एवं समय-समय पर लागू अन्य प्रचलित कर/उपकर देना होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी तथा जमानत की शेष धनराशि भी जमा करनी होगी।
- 33-निविदा जी0एस0टी0 को छोड़कर (Exclusive of G.S.T.) आमंत्रित की जा रही है। जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त उपकर, लेवी आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- 34-भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में जो भी निर्णय/आदेश किये जायेंगे, वह सभी ठेकेदारों/फर्मों पर नियमानुसार लागू होंगे।
- 35-ऑनलाईन प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का टेक्निकल बिड के समय यह परीक्षण चैक लिस्ट के अनुसार किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि, एवं अनुभव प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराये हैं या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गई दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।
- 36-सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के प्रचलित नियमों व शासनादेशों के अनुरूप की जायेगी।
- 37-निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा डाल सकेगा। सर्शत निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 38-कार्य स्थल के निकट अवस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, तथा अन्य विभागों की संरचनाओं की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा, अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

Office Name

Executive Engineer

Madhya Ganga Canal Construction, Div-14

Garhmukteshwa(Hapur)

Mobile No. 8979803957

अधीक्षण अभियन्ता

मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल

बुलन्दशहर

MADHYA GANGA ORGANISATION